

संख्या-1192/16-प्रा.शि.-03-2007-46(8)/2002

प्रेषक.

आर०एन० सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उ०प्र० कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग -3

- लखनऊ दिनांक १९ अक्टूबर, 2007

विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य में एक एवं दो वर्षीय (फार्मैसी पाठ्यक्रम को छोड़कर) नई डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें खोलने एवं पूर्व स्थापित संस्थां में नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने आदि के मानकों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6523/ई-एआईसीटीई /अनुमोदन/नीति निर्धारण, दिनांक 13-7-2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य के निजी क्षेत्र में एक एवं दो वर्षीय (फार्मैसी पाठ्यक्रम को छोड़कर) नई डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें खोलने एवं पूर्व स्थापित संस्थां में नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-3063/सोलह-प्रा०शि०-3-2003-46(8)/2002, दिनांक 20-12-2003 द्वारा नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था। श्री राज्यपाल महोदय उक्त शासनादेश में पूर्व में प्रख्यापित नीति एवं प्रक्रिया में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

प्रस्तर च - उत्तर प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के संबंध में कार्यवाही

उक्त प्रस्तर के बिन्दु-3 में निम्नानुसार संशोधन का प्रख्यापन:-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिये जाने के पश्चात् निदेशक प्राविधिक शिक्षा द्वारा संबंधित संस्था को "लेटर आफ इन्टेन्ट" (इच्छा पत्र) जारी किया जायेगा। इस पत्र द्वारा संस्था को निर्देशित किया जायेगा कि वह आवश्यक धरोहर धनराशि जमा करें तथा भवन, उपकरणों एवं पुस्तकों आदि की व्यवस्था करें। आवश्यक धरोहर

---2/--


धनराशि के संबंध में आवेदक सोसाइटी/ट्रस्ट और निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० के संयुक्त नाम से राष्ट्रीकृत बैंक से एफडीआर बनवाकर मूल प्रति संस्था के पास रखेगा एवं उसकी फोटो प्रति इस वचनबद्धता के साथ आवेदक द्वारा नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर हलफनामे के साथ निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पास जमा की जायेगी, कि प्रस्तावित संस्था निदेशक प्राविधिक शिक्षा की पूर्व अनुमति के बगैर उक्त एफ०डी०आर० को न तो मुना सकेगा एवं न ही उसमें कोई परिवर्तन करा सकेगा तथा न तो एफडीआर को किसी ऋण के विरुद्ध बैंक में बंधक करा सकेगा। इस सम्बन्ध में निदेशक, प्रा० शि० सम्बन्धित बैंक को अपने स्तर से निर्देश जारी करेगा कि बैंक द्वारा उक्त एफ. डी.आर. का नकदीकरण/ परिवर्तन अथवा लोन जारी करने सम्बन्धी आदेश बिना निदेशक, प्राविधिक शिक्षा की सहमति से नहीं करेगा एवं आवेदक सोसाइटी/ट्रस्ट एफ०डी०आर० की परिपक्वता पर निदेशक, प्रा०शि० की सहमति उपरान्त नियत समय में नवीनीकरण कराने के लिए अधिकृत होगा। जब संस्था समस्त व्यवस्था पूर्ण कर लेगी तब वह निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क का बैंक ड्राफ्ट संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ के पक्ष में बनवाकर जो लखनऊ में देय होगा जमा करेगी।

2- संलग्न सूची-1 के पृष्ठ संख्या-9 बिन्दु-5 (दो वर्षीय डिप्लोमा पाठयक्रम न्यूनतम प्रवेश अर्हता हाईस्कूल) के अंतर्गत (2) गारमेन्ट टेक्नालाजी पाठयक्रम को विलुप्त किया जाता है।

3- संलग्न सूची 2 के पृष्ठ संख्या-10

मेट्रो सिटी/ राजधानी के स्थान पर इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी, आगरा, लखनऊ एवं कानपुर को अंकित किया जाता है।

4- अतएव पूर्व में प्रख्यापित शासनादेश को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,

(आर०एन० सिंह)
विशेष सचिव।

२

—3/—

संख्या-1192 (1)/सोलह-प्रा0शि0-3-2007 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
- 2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्राविधिक शिक्षा विभाग ।
- 3- अध्यक्ष एवं सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट नई दिल्ली ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, नवाबगंज, कानपुर ।
- 5- अध्यक्ष/सचिव, फार्मैसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली ।
- 6- अध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश फार्मैसी काउंसिल आफ इंडिया, लखनऊ ।
- 7- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय लखनऊ को साधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु ।
- 8- निदेशक, आई0आर0डी0टी0, कानपुर ।
- 9- वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश कानपुर ।
- 10- निदेशक, आई0ई0आर0टी0, इलाहाबाद ।
- 11- रजिस्टार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश, विकासदीप, लखनऊ ।
- 12- डिप्टी रजिस्टार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स कानपुर मंडल, सहारनपुर मंडल, वाराणसी मंडल, फैजाबाद मंडल, बरेली मंडल, इलाहाबाद मंडल, आगरा मंडल, गोरखपुर मंडल एवं आजमगढ़ मंडल ।
- 13- निदेशक, ए0आई0टी0एच0, कानपुर ।
- 14- सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 15- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 16- संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र उत्तर प्रदेश ।
- 17- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, अनुदानित पालीटेक्निक एवं निजी पालीटेक्निक संस्थाओं को निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर के माध्यम से सूचनार्थ ।
- 18- प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1/2 ।
- 19- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(सी0एल0 सिंह)
संयुक्त सचिव ।